

न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सिरौही
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 40/2023

प्रार्थी

1. मृतक मगाराम पुत्र श्री धीराजी जाति मीणा निवासी सिरौही रोड पिण्डवाडा के कायम मुकाम-
 - 1.1 श्री नारायणलाल पुत्र स्व. श्री मगाजी जाति मीणा निवासी सिरौही रोड पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
 - 1.2 श्री कन्हैयालाल पुत्र स्व. श्री मगाजी जाति मीणा निवासी सिरौही रोड पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
 - 1.3 श्रीमती गंगा पुत्री स्व. श्री मगाजी पत्नि श्री बदाजी जाति मीणा निवासी सिरौही रोड पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
 - 1.4 श्रीमती नैनू पुत्री स्व. श्री मगाजी पत्नि श्री सवाराम जाति मीणा निवासी सिरौही रोड पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
 - 1.5 श्रीमती शान्ति पुत्री स्व. श्री मगाजी पत्नि श्री शंकरलाल जाति मीणा निवासी सिरौही रोड पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मगाजी जाति मीणा निवासी सिरौही रोड पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

विपक्षीगण

1. सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया पाली जिला पाली।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सपठित
आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट, 1996

उपस्थिति :-

1. श्री दिनेश सुराणा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।



:: निर्णय ::

दिनांक : 27.11.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा मौजा वीरवाडा पटवार हल्का वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही के खसरा संख्या 2260 की भूमि को नेशनल हाईवे हेतु अवाप्त कर उक्त भूमि के दिए गए मुआवजे से असहमत होकर यह प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत आरबीट्रेशन की कार्यवाही हेतु दिनांक 14.05.2013 को प्रस्तुत किया, जो इस प्रकरण में प्रकरण संख्या 03/2013 अनवान श्री मगा व अन्य बनाम सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाडा व अन्य के नाम से दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद सुनवाई पक्षकारान् दिनांक 14.03.2015 को निर्णय पारित किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या दो नेशनल हाईवे ऑथोरिटी

16
आरबीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरौही

जरिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया पाली द्वारा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही में प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही द्वारा दीवानी विविध(आर्बीट्रेशन) संख्या 28/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2018 के द्वारा नेशनल हाईवे ऑथोरिटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित पंचाट आदेश दिनांक 14.03.2015 को निरस्त कर विधि अनुसार आवेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही के निर्णय की पालना में प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को नोटिस जारी किए गए, जिस पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी।

प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व का एक मकान जनापुर रोड अजुपुरा कॉलोनी सिरौही रोड पिण्डवाडा में आया हुआ है, जिसका पट्टा नगरपालिका पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 03.09.2000 को 885 वर्गफीट का प्रार्थी के हक में जारी किया गया है एवं उक्त मकान में प्रार्थी मय परिवार निवास करते आ रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थी उक्त पट्टेशुदा मकान का स्वामी है। यह है कि उक्त मकान से लगती भूमि प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य की भूमि है, जो चारों ओर से पुरानी कांटो की बाढ की घिरी हुई है, उक्त कांटों की बाढ में पुराने हरे वृक्ष खड़े हुए हैं। प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि पर स्नानघर, पशुओं को बांधने का पशुघर, मुर्गियों का दडबा, बकरियों की झोंपडी बने हुए हैं एवं अनेकों हरे वृक्ष हैं। यह है कि प्रार्थी की कब्जे की भूमि एवं मकान का कुल नाप 12075 वर्गफीट है। प्रार्थी को उक्त पट्टेशुदा मकान का कोई मुआवजा अदा नहीं किया है एवं प्रार्थी का उक्त मकान खसरा संख्या 2260 की भूमि में नहीं आता है, जबकि प्रार्थी के उक्त मकान को अप्रार्थी संख्या दो ने अवाप्त किया है, उसका अवार्ड पहले 1,39,955/- रूपए निर्धारित किया गया था एवं उसके पश्चात दिनांक 21.12.2012 को प्रार्थीगण के पीठ-पीछे उक्त मकान का मुआवजा पूर्व निर्धारित मुआवजे से घटाकर रूपए 94,127/- रूपए निर्धारित कर दिया, जो बिना अधिकार के किया गया है। प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि का, हरे पेड़ों का, पशुघर का, स्नानघर का एवं अन्य संरचनाओं का कोई मुआवजा अप्रार्थीगण ने निर्धारित नहीं किया है, जिससे प्रार्थीगण के साथ भारी गैर इंसाफ हुआ है। यह है कि प्रार्थी के पट्टेशुदा मकान का मुआवजा अदा नहीं किया जाकर केवल मात्र संरचनाओं का ही मुआवजा अदा किया गया है, जो सर्वथा गलत रूप से निर्धारित किया गया है, जबकि प्रार्थी अप्रार्थीगण से उक्त पट्टेशुदा मकान एवं उसकी भूमि का मुआवजा आबादी की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है एवं प्रार्थी की उक्त भूमि का बाजार मूल्य 300/- रूपए प्रतिवर्गफुट के हिसाब से कुल रूपए 36,22,500/- होता है एवं उक्त भूमि पर स्थित पशुघर, स्नानघर आदि का बाजार मूल्य करीब दो लाख रूपए होता है एवं प्रार्थी के मकान के निर्माण की लागत तीन लाख रूपए है। इस प्रकार प्रार्थीगण की सम्पत्ति का कुल मूल्य रूपए 41,22,500/- होता है, जिसे प्रार्थी अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। यह है कि प्रार्थी के उक्त भूमि एवं मकान सिरौही रोड में आबादी भूमि में स्थित है, जिसके पास आर.टी.डी.सी. की होटल एवं वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिससे प्रार्थीगण की उक्त भूमि बहुमूल्य है, जिसका मुआवजा अप्रार्थीगण ने आबादी दर से निर्धारित नहीं कर गम्भीर त्रुटि की है। यह है कि अप्रार्थीगण ने सन 2009 की दर से



4
 आवंटित
 जिला कलेक्टर, सिरौही

मकान की संरचना का मुआवजा निर्धारित कर एवार्ड जारी करने में गम्भीर त्रुटि की है, जिससे प्रार्थीगण प्रचलित बाजार दर से उसकी भूमि एवं सम्पत्ति का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने एवार्ड जारी करने से पूर्व मौके की स्थिति का मुआयना नहीं किया है। यह है कि प्रार्थी के पास उक्त भूमि में बने आवासीय मकान के अलावा अन्य कोई मकान निवास हेतु नहीं है, जिससे उक्त मकान के अवाप्त होने से प्रार्थीगण बेघर हो गए है एवं प्रार्थी को मिले मुआवजे से उक्त मकान की भूमि नहीं खरीदी जा सकती है एवं इसी नाप के अन्य मकान लेने हेतु या निर्मित करने हेतु प्रार्थीगण को न्यूनतम दस लाख रूपए की आवश्यकता रहती है। यह है कि अप्रार्थीगण ने अनेकों व्यक्तियों की भूमि एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक ही आदेश के जरिए एवार्ड पारित किया है, जो विधि अनुसार नहीं है, जिससे अवाप्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया विधि में दूषित है, जबकि प्रार्थीगण की सम्पत्ति के एवार्ड का निर्धारण मौके की स्थिति अनुसार पृथक से जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की सम्पत्ति के सम्बन्ध में जारी एवार्ड को निरस्त कर प्रार्थी की भूमि, मकान, पशुघर, बकरियों के झोंपड़े, स्नानघर एवं उक्त भूमि पर खड़े वृक्षों एवं उसके चारों ओर स्थित कांटों की बाड का मुआवजा कुल रूपए 41,22,500/- एवं उस पर अन्य परिलाभ एवं ब्याज सहित संशोधित एवार्ड प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा पिण्डवाडा के खसरा संख्या- 2260 का सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), पिण्डवाडा द्वारा मुआवजा राशि का अवार्ड जारी करने में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह है कि अधिनियम की धारा 3ए के प्रकाशन की दिनांक को जो भूमि की दर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा तय की गई है, जो कि स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के तहत आनुपातिक प्रणाली अनुसार तय की जाती है और कमेटी का गठन भी नियम 58 के तहत विधिक प्रावधान अनुसार किया जाता है। इसके विपरीत किसी भी तरह की अवधारणा किया जाना उचित नहीं है। अतः भूमि की किस्म कृषि रही है और मौके की व राजस्व अभिलेख के इन्द्राज के आधार पर अवाप्त भूमि की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 3ए के प्रकाशन दिनांक को प्रभावित बाजार दर के आधार पर अवार्ड पारित किया गया है, जिसमें वृद्धि व संशोधन किए जाने की कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। यह है कि कानूनी रूप से बाजार मूल्य का निर्धारण आसपास की रजिस्ट्री, सेलर प्रचिजर के मध्य एग्रीमेंट के आधार पर व मौके पर भूमि की उपयोगिता के आधार पर निश्चित नहीं होता है। यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जे में स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में सोलेटियम के तहत किसी भी तरह की अदायगी मुआवजा बाबत विधिक प्रावधान ही नहीं है, जिसके विपरीत प्रार्थी द्वारा सोलेटियम व ब्याज क्लेम करना कानूनी आधारहीन है। साथ ही प्रार्थी द्वारा वर्णित कथन व मुआवजा गणना विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर केवल मात्र काल्पनिक आधारों पर मुआवजा राशि की गणना की गई है, जिसे प्राप्त करने की अधिकारिता प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। यह है कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जो भी अभिलेख व तथ्य प्रस्तुत हुए उनका विधि संगत निस्तारण करते हुए अवार्ड पारित किया गया, जिसमें किसी भी तरह की तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं रहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के विधिक प्रावधानों के तहत अधिसूचना प्रकाशित होकर आपत्तियां आमंत्रित की गईं और अधिनियम की धारा 3सी के तहत



आर्वाट्टर

जिला कलेक्टर, सिरसी

आपत्तियों को निस्तारण किया जाकर अधिनियम की धारा 3डी के अनुसार उद्घोषणा जारी की गई, समस्त कार्यवाहियां विधिक प्रावधानों के तहत पूर्ण की गई, जिसमें प्रार्थीगण को सम्पूर्ण अवसर प्रदान कर आपत्तियों का निस्तारण किया गया। अतः प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत ही अवार्ड पारित किया गया है, जिसमें वृद्धि व संशोधन किए जाने का कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं है। यह है कि जिला कलक्टर सिरोही द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि के सम्बन्ध में जारी अवार्ड की पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का उल्लेख एवं स्पीकिंग आदेश जारी किया जाना नहीं बताया है, जबकि कानूनन प्रार्थी द्वारा अपने भूमि के रूपान्तरण बाबत जो क्लेम के दस्तावेज दिए हैं, उसमें कानूनी रूप से नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3ए के प्रकाशन के समय भूमि की किस्म जो होती है, जो कि कृषि थी। इसलिए दस्तावेजात कानूनी रूप से गौण है तथा उन दस्तावेजों के रिकॉर्ड पर लेने पर भी मुआवजा राशि पर तनिक मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि P.Rajamani V/s. Union of India में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत सोलेटियम व ब्याज देय नहीं है। इस बाबत सर्वाच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न मामलों में निर्णय किया जा चुका है। अतः पारित अवार्ड विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। यह है कि राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 की धारा 2(xxiii) में बाजार दर को परिभाषित किया गया है और नियम 58 में दर निर्धारण प्रक्रिया, प्रावधान दर्शित है। उक्त विधिक प्रावधान में निर्धारित बाजार दर वास्तविक रूप से व्यावहारिक बाजार दर है और इसी अनुसार मुआवजा आदेश जारी किया गया है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जो बाजार दर तय की गई है वह क्षेत्र से सम्बन्धित ब्रिच विलेखों के आधार पर अनुपातिक दर निर्धारित कर सम्बन्धित वृद्धि करते हुए वास्तविक रूप से अवाप्त भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 3ए की प्रकाशन दिनांक को प्रभावित बाजार दर ही मुआवजा निर्धारण का आधार होती है। यह है कि अवाप्त भूमि की किस्म समस्त अभिलेखों में कृषि दर्ज है और जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन का आदेश पारित नहीं किया जाता है या पट्टा परिवर्तन का आदेश पारित नहीं किया जाता है या जारी पट्टे का उपपंजीयन कार्यालय में पंजीकरण नहीं करवाया जाता है तब तक उक्त भूमि की किस्म कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नहीं मानी जाती है और उक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत कोई भी आधारित अवधारणा किसी भी न्यायालय द्वारा की जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है एवं पश्चातवृत्ति कार्यवाही अवाप्त भूमि की दर को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रभावित नहीं की जा सकती है। यह है कि अन्य भूमि की किस्म के आधार पर या अन्य भूमि के चपटी लगी हुई भूमि के आधार पर किस्म में परिवर्तन नहीं हो सकता तथा अवाप्त भूमि आबादी क्षेत्र में एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। उक्त तथ्य इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के निवारण करने हेतु विधिक रूप से आधारहीन है, जिससे पारित अवार्ड राशि में वृद्धि के आधार के रूप में भी नहीं आ सकता है तथा साथ ही प्रार्थी को किसी भी तरह की हानि क्षति उक्त अवश्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कार्य नहीं हुई है। यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक को जो बाजार दर रही है उसी अनुसार अवाप्त भूमि का मुआवजा अदा किया जाने का प्रावधान है। साथ ही धारा 3ए की अधिसूचना की



आर्वाट्टर
जिला कलक्टर, सिरोही

दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि मौजा पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 2260 की भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाडा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 15.10.2012 को जारी किए अवार्ड में तकनीकी त्रुटि रह जाने से क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्र क्रमांक/एनएचएआई/15025/2/2012-ROJ/LA/29993 दिनांक 27.11.2012 के द्वारा विसंगतियां अंकित करते हुए अवार्ड परियोजना निदेशक पाली के माध्यम से जरिए पत्रांक 1469/14.12.2012 के द्वारा संशोधित अवार्ड जारी करने एवं वेल्युअर की संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या एक सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/एन.एच.ए.आई./भूमि अवाप्ति/2012/171 दिनांक 21.12.2012 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया था। चूंकि भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित उद्घोषणा जारी की गई थी, उस समय उपरोक्त वर्णित अवाप्ताधीन भूमि राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी श्री मगाराम पुत्र श्री धीराजी मीणा के नाम दर्ज थी। यानिकी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उद्घोषणा जारी की गई थी, उस दिन अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा है, जो कि उक्त भूमि प्रार्थी श्री मगाराम पुत्र श्री धीराजी मीणा के नाम दर्ज थी एवं उस पर बनी संरचनाओं ग्राउण्ड फ्लोर, मकान व बरामदा का स्वामित्व भी प्रार्थी श्री मगाराम पुत्र श्री धीराजी मीणा के नाम दर्ज था। अतः उक्त पट्टेशुदा भूमि एवं उस पर बनी संरचनाओं पर प्रार्थी श्री मगाराम पुत्र श्री धीराजी मीणा का स्वत्व एवं स्वामित्व होने से अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि एवं उस पर बनी संरचनाओं का मुआवजा प्रार्थी श्री मगाराम पुत्र श्री धीराजी मीणा के नाम से जारी किया गया, जो उनके द्वारा प्राप्त भी कर लिया गया है। प्रार्थी की उक्त भूमि बाबत जो अधिसूचना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत जिस दिनांक को जारी की गई थी उस दिनांक को प्रार्थी का उक्त भूमि पर स्वत्व, स्वामित्व बाबत दस्तावेज का पूर्ण अवलोकन कर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उक्त मुआवजे का निर्धारण किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूमि के अतिरिक्त उसके कब्जे आधिपत्य की भूमि के मुआवजे की भी मांग की गई है, परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त कब्जे आधिपत्य की भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व अथवा स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज यथा पट्टा हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कथन किया है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण का उक्त पट्टेशुदा भूमि के अतिरिक्त भूमि पर केवल कब्जा है और केवल मात्र कब्जे के आधार पर ही



आर्वाइव्ड
जिला कलेक्टर, सिरोही

अवाप्तशुदा भूमि का स्वत्व, स्वामित्व प्रार्थीगण में निहित नहीं हो जाता है। अतः इसके लिए प्रार्थीगण अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने की दिनांक के बाद ग्राम पंचायत या अन्य किसी भी स्थानीय निकाय निगम को उक्त भूमि प्रलेख जारी करने, पट्टा जारी करने, स्वामित्व हस्तान्तरण करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं, यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि विकसित क्षेत्र में स्थित होने एवं भविष्य में वाणिज्यिक उपयोग में होने से अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने की मांग की गई है, परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य यथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित सम्बन्धी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि उपरोक्त वर्णित भूमि के आस-पास कोई रूपान्तरित भूमि स्थित होने से अवाप्तशुदा भूमि को भी रूपान्तरित भूमि नहीं माना जा सकता है एवं न ही उसकी किस्म को बदला हुआ माना जा सकता है। अतः इसके लिए भी प्रार्थी को अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि को रही भूमि पर रहे स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य से सम्बन्धित दस्तावेजों के आधार पर ही विधिक प्रावधानानुसार प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है, जिसका भुगतान प्रार्थी द्वारा बिना किसी आपत्ति के प्राप्त कर लिया गया है। मूल्यांकन प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा अपनी वेल्युवेशन रिपोर्ट विधिक आधार पर ही तैयार की गई है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्धता नहीं की जा सकती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि पर लगे पेड़-पौधे इत्यादि के मुआवजे की मांग की गई है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में अवाप्ताधीन भूमि पर लगे पेड़-पौधे इत्यादि का मुआवजा दिया जाने अथवा नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की कोई नजीर पेश की है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्ताधीन भूमि पर लगे पेड़-पौधे इत्यादि का मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया गया हो।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेखों की रोशनी में स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने से निरस्त किया जाता है। मुआवजा राशि में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि किए जाने का आधार नहीं होने से प्रार्थी का क्लेम निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।



(Handwritten Signature)
(अल्पा चौधरी)
जिला कलेक्टर, (आरबीट्रेटर)
सिरोही (राज०)